9651788811

संख्या-437/2018/4090/नौ-5-2018-221बजट/2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

विषय: राज्य सेक्टर के अन्तर्गत "नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)" के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक नगरीय निकायों वाला प्रदेश है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 22 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश में एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराये जाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है:-

1. योजना के अन्तर्गत राज्य के 01 लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जायेगा।
2. नगरीय पेयजल योजना से संबंधित अवसंरचना विकास हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव में ट्यूबबेल व पाईप लाईन से संबंधित कार्य, जहां ज्यादा आवश्यकता हो वहां आवश्यकतानुसार ओवर हेड टैंक का निर्माण, पेयजल हेतु नलकूपों के रिबोर का कार्य सम्मिलित किये जायेंगे।
3. प्रस्तावित कार्य स्थल जहां पर ट्यूबवेल लगाया जाना है का प्रारम्भिक छाया चित्र/नगरीय निकाय के स्वामित्व संबंधी अभिलेख आदि प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
4. प्रस्तावित कार्य उन्हीं स्थलों पर किये जाने चाहिए जो नगरीय निकाय के क्षेत्राधिकार में हो तथा विवादित न हो। इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा।
5. कार्य के निर्माण संबंधित नगरीय निकाय या कार्यदायी संस्था या शासन द्वारा नामित संस्था द्वारा किया जायेगा।
6. पेयजल से संबंधित अवसंरचना का विकास हो जाने के उपरान्त ०३ वर्ष तक उनके रख-रखाव का दायित्व कार्य कराने वाली संस्था का होगा उक्त अवधि के बाद रखरखाव का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा। इस हेतु संबंधित नगरीय निकाय द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।
7. आगणनों का गठन वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26.08.2014 की व्यवस्थानुसार कराया जायेगा तथा आगणन अधिशासी अभियन्ता समकक्ष स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव/आगणन पर संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी एवं आगणन बनाने वाले अभियन्ता का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
8. आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग/ उ०प्र० जल निगम द्वारा निर्धारित अद्यतन दरो पर किया जायेगा।

9. आगणन का गठन करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा उन्हीं कार्यो को लिया जायेगा जो पेयजल से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए आवश्यक हैं। संबंधित निकाय द्वारा परिक्षणोपरान्त प्रस्ताव/आगणन शासन में उपलब्ध कराये जायेगे।

10. कार्य योजना/डी0पी0आर0 में कार्य के औचित्य तथा आवश्यकता के संबंध में भी रिपोर्ट/संक्षिप्त प्रतिवेदन संलग्न किया जाए। डी0पी0आर0 में गृह संयोजन का प्राविधान किया जायेगा।

11. निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष धनराशि अधिशासी अधिकारी संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत के खाते में निर्गत किया जायेगा इसके पश्चात् स्वीकृत धनराशि में ही कार्य कराया जाना आवश्यक होगा। सामान्यत: लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

12. योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यो को प्रस्तावित किया जायेगा जो किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित/पूर्व से स्वीकृत नहीं है। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। कार्य को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से अंतर्ग्रन्थन (Dovetailing) /अभिसरण (Convergence) किया जा सकता है।

13. कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता का उत्तरदायित्व संबंधित नागर निकाय व कार्यदायी संस्था का होगा।

14. कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ठीक न होने की स्थिति में व्यय हुए शासकीय धन की वसूली संबंधित अधिकारियों/कार्यदायी संस्था से उनके निजी स्रोतों से नियमानुसार की जायेगी, जिसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

15. प्रस्तावित कार्य हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय/आगामी किश्त की धनराशि आवश्यक उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्यो की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति तथा कार्य के गुणवत्ता के साथ कराये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जायेगा।

16. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2017-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित अग्रेत्तर दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में नगरीय पेयजल से संबंधित अवसंरचना के विकास/निर्माण हेतु उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

12.12.18

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-430/2018/4090/नौ-5-2018-221बजट/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
3- निदेशक, सी0एण्डडी0एस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
4- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल/सूडा ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

12/12/18

(अवधेश कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।